

29/11

श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय पाली के पत्रांक नो/2018/626 की अनुपालना में यह प्रकाश न्यायालय अदालत अधिकायी जिला मय से जारी हुआ है जो सच रजिस्टार होकर उक्त कानून बंधितों को पत्रादेशों के माध्यम से जारी किया गया है। पत्रादेशों के माध्यम से दिनांक 17/11/18 को पत्रादेशों को पत्रादेशों के माध्यम से जारी किया गया है।

महाशय कलक्टर
(फाउंड ट्रेड) जिला मय

17/11/18

व्यवसाय उपाय
साबका जा पत्र पेश करने का समय नहीं है, दिया जाता है पत्रादेशों के माध्यम से दिनांक 17/11/18 को पत्रादेशों को पत्रादेशों के माध्यम से जारी किया गया है।

04/03/2020

पत्राक्षरी पेश हुई।
वकील मय वादिका के वर-कार आवाजें दिलाई गई। आज वकील मय वादिका को कोई सूचना। इतना के अनु. रहे। वकील मय वादिका को कोई सूचना। इतना के अनु. रहे। से वादिका का एक जा पत्र इसमें पेश की। इसमें दादारी के खारिज किया जाता है। पत्राक्षरी केसल सुमाए एकेट मय से कर है। वाद तंकेमीन साबकां साबिकां इतने लेखप। भुझा जमा है।

महाशय कलक्टर

